जनपद गाजियाबाद **प्रेस नोट** **दिनांक 14.11.22**

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा मुठभेड के दौरान 01 अभियुक्त को मय 01 नाजायज देशी पिस्टल 32 बोर मय 02 खोखा कारतूस 32 बोर व भारी मात्रा में जिन्दा कारतूस 32 बोर एवं घटना मे प्रयुक्त एक मोटर साईकिल अपाचे न0 UP15 DD 9767 (फर्जी नम्बर प्लेट) लाल रंग व एक खुखरी, लूटे हुये 06 मोबाइल फोन, आधार कार्ड (07) ,एटीएम कार्ड (11), ड्राइविंग लाइसेंस (03) सहित गोली लगी अवस्था में गिरफ्तार किया गया। ।

कार्यवाहीः- जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एंव श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांकः-13.11.2022 को समय लगभग 22.00 बजे उ0नि0 शिशुपाल सोलंकी द्वारा मय फोर्स अपराध व अपराधियों की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। दौराने चेकिंग लाल रंग अपाचे न0 UP15 DD 9767 (फर्जी नम्बर प्लेट) पर सवार दो व्यक्तियों द्वारा चैकिंग के दौरान पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गयी तथा अर्थला हिण्डन पुल की तरफ विपरीत दिशा में तेज रफ्तार से भागे, जिन्हे पुलिस पार्टी द्वारा पकड़ने के उद्देश्य से पीछा किया गया तो हिण्डन पुल प्रियदर्शनी पार्क के पास घेराबंदी के दौरान बदमाशों की मोटर साइकिल फिसल गयी और बदमाशों द्वारा पुनः पुलिस पार्टी पर पिस्टल से जान से मारने की नीयत से फायर किया । आत्म रक्षा में पुलिस पार्टी द्वारा की गई फायरिंग में एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी और एक बदमाश झाडियों में ग्रीन बैल्ट मे होता हुआ भाग गया घायल बदमाश को पुलिस पार्टी द्वारा घेर कर गिरफ्तार कर लिया गया पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम अजय यादव उर्फ नेम सिंह पुत्र राधेश्याम यादव नि0 ग्राम बगदा बरौली अहीर थाना ताजगंज जनपद आगरा बताया बरामद मोटर साइकिल अपाचे अभियुक्त द्वारा दिनाँक 05.11.2022 को थाना बाह क्षेत्र जनपद आगरा से छिनी गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना बाह जनपद आगरा पर अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त अजय यादव उर्फ नेम सिंह उपरोक्त अपने साथी के साथ मिलकर गाजियाबाद नगर क्षेत्र में व अन्य जनपदों में राह चलते व्यक्तियों से लूट की वारदात करता है विभिन्न स्थानों से लूटे गये 06 मोबाइल फोन व आधार कार्ड (04) , एटीएम कार्ड (11), ड्राइविंग लाइसेंस (03) बरामद हुये हैं अभियुक्त उपरोक्त को तुरंत प्राथमिक उपचार हेतु जरिए पीसी मोहनगर अस्पताल रवाना किया गया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर जाँच कर रही है । अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध कारित करने का तरीकाः-

अभि0 द्वारा अपने सह अभियुक्त के साथ गाजियाबाद क्षेत्र व अन्य जनपदों में राह चलते व्यक्तियों से पिस्टल व खूखरी दिखाकर लूट की वारदात करता है तथा लूटे हुये माल को आपस में बाँट कर अपनी जीविका चलाते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अजय यादव उर्फ नेम सिंह पुत्र राधेश्याम यादव निताजगंज जनपद आगरा ग्राम बगदा बरौली अहीर थाना 0

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

अजय यादव उर्फ नेम सिंह पुत्र राधेश्याम यादव नि0 ग्राम बगदा बरौली अहीर थाना ताजगंज जनपद आगरा

1.मु0अ0स0 220/2022 धारा 392 भादवि0 थाना बाह जनपद आगरा

2.मु0अ0स0 1801/2022 धारा 307/34 भादवि0 व 3/4/25/28 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

बरामदगी का विवरणः-

अभियुक्त उपरोक्त से 01 अदद नाजायज देशी पिस्टल 32 बोर मय 02 अदद खोखा कारतूस 32 बोर व भारी मात्रा में जिन्दा कारतूस 32 बोर एवं घटना मे प्रयुक्त एक अदद मोटर साईकिल अपाचे न0 UP15 DD 9767 (फर्जी नम्बर प्लेट) लाल रंग व एक खुखरी, लूटे हुये 06 मोबाइल फोन, आधार कार्ड (07) ,एटीएम कार्ड (11), ड्राइविंग लाइसेंस (03)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

प्रभारी निरीक्षक श्री सचिन मलिक

उ0नि0 श्री शिशुपाल सोलंकी

उ0नि0 श्री विपिन कुमार चौधरी

उ0नि0 श्री सुमित कुमार

का0 2339 नसीम

का0 2461 सुनील कुमार

का0 3359 अविनाश कुमार

का0 280 मन्जीत सिंह

का0 2095 किरनपाल

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा 02 मोटरसाईकिल चोर जो मोटरसाईकिल चोरी करने के बाद मोटरसाईकिलो के पार्ट आपस मे बदल कर बेचने बालों को 01 अदद मोटरसाईकिल का चैसिस मय अगला व पिछला पहिया मय टायर मय सलेंसर व मोटर साईकिलो के पार्टस व 04 मोटरसाईकिल के नम्बर प्लेटस व एक मोटरसाईकिल का रजिस्ट्रेशन नं0 व एक मोटरसाईकिल का पोलूशन व इंस्योरेंस के साथ किया गिरफ्तार।

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री मुनीराज जी0 के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद व थानाध्यक्ष लोनी बार्डर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना लोनी बार्डर पुलिस द्वारा दिनांक 13.11.2022 को चैकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर समय करीब 20.25 बजे बन्द फाटक रोड पर नीशू मोटरसाईकिल मिस्त्री की दुकान से दो 1. नीशू पुत्र स्व0 रिषीपाल सैनी निवासी जयभारती पब्लिक स्कूल वाली गली गोविंद टाउन कुमार कालोनी थाना लोनी वार्डर गाजियावाद उम्र 21 वर्ष 2. बन्टी पुत्र शंकरलाल निवासी हाल पता गली नं0 2 शक्तिगार्डन कुमार कालोनी थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष स्थाई पता फाटक वाला मोहल्ला पक्की सराय पुराने बस अड्डे के पास अलीगढ को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 01 अदद मोटरसाईकिल पेशन प्रो0_रजि0नं0 DL13SJ8776 है जिसकी नंबर प्लेट अलग से उठाकर दोनो ने दी है। जिप नेट एप पर उक्त मोटरसाईकिल का रजि0 नं0 डालकर चैक किया गया तो मो0सा0 के सम्वन्ध में ई-एफआईआर नं0 032563/22 दिनांक 10/11/22 पुलिस स्टेशन ई थेप्ट क्राइम ब्रान्च दिल्ली **मय अगला व पिछला पहिया मय टायर मय सलेंसर व मोटर साईकिलो के पार्टस व 04 मोटरसाईकिल के नम्बर प्लेटस व एक मोटरसाईकिल का रजिस्ट्रेशन नं0 व एक मोटरसाईकिल का पोलूशन व इंस्योरेंस** एंव अन्य पार्टस वरामद हुए । गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभि0गणों से पूछताछ करने पर दोनो अभि0गणों द्वारा बताया गया कि साहब यह पैशन प्रो मो0सा0 हम दोनों ने मिलकर तीन दिन पहले नंदनगरी दिल्ली से चोरी की थी व हम दोनों मिलकर दिल्ली व यूपी के विभिन्न स्थानो से मो0सा0 चोरी करके लाते है और मो0सा0 काट कर सभी पुर्जे अलग अलग कर देते है और ग्राहको की मो0साइकिलो में चोरी की गई मो0साइकिलो के पुर्जे लगा देते है। इससे हम दोनों लोग जो पैसा कमाते है आपस में बराबर बराबर बाँट लेते है। हमारी इस दुकान के अन्दर जो बहुत से मो0साइकिलो के पुर्जे रखे है। यह सभी मो0साइकिले चोरी कर काट कर रखे है। इनके कुछ इंजन व चैसिस हम लोग ग्राहको की मो0साईकिलो में डाल देते है। तथा छोटे मोटे पुर्जे जिन्हे बेकार समझते है उसे चलते फिरते कबाडी को बेच देते है। साहव यह पैशन प्रो मो0सा0 हम दोनो ने नंदनगरी दिल्ली से तीन दिन पहले चोरी की थी तथा चोरी करके हम दोनो ने इस पैशन प्रो मो0सा0 की नम्वर प्लेट निकालकर दुकान मे ही रख दी है जिससे इसकी पहचान न हो सके।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. नीशू पुत्र स्व0 रिषीपाल सैनी निवासी जयभारती पब्लिक स्कूल वाली गली गोविंद टाउन कुमार कालोनी थाना लोनी वार्डर गाजियावाद उम्र 21 वर्ष

2. बन्टी पुत्र शंकरलाल निवासी हाल पता गली नं0 2 शक्तिगार्डन कुमार कालोनी थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष स्थाई पता फाटक वाला मोहल्ला पक्की सराय पुराने बस अड्डे के पास अलीगढ

अभियुक्त नीशू , बन्टी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0स0 851/22 धारा 411/414/420 भादवि0 थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद

2- मु0अ0सं0 ई-एफआईआर नं0 032563/22 धारा 379 भादवि पुलिस स्टेशन ई थेप्ट क्राइम ब्रान्च दिल्ली

3- मु०आ०स० 801/22 धारा 379 भ०द०वि० थाना लोनी बोर्डर गा0बाद

4- मु०आ०स० 758/22 धारा 392 भा०द०वि० थाना लोनी बोर्डर गा0बाद

5. इ-एफ़० आइ० आर० नंबर 030480/22 पुलिस स्टेशन ई थेप्ट क्राइम ब्रान्च दिल्ली

6. इ-एफ़० आइ० आर० नंबर 031818/22 दिनांक 04/11/22 पुलिस स्टेशन ई थेप्ट क्राइम ब्रान्च दिल्ली

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण-

01 अदद मोटरसाईकिल पेशन प्रो0_रजि0नं0 DL13SJ8776 है जिसकी नंबर प्लेट अलग से उठाकर दोनो ने दी है। जिप नेट एप पर उक्त मोटरसाईकिल का रजि0 नं0 डालकर चैक किया गया तो मो0सा0 के सम्बन्ध में ई-एफआईआर नं0 032563/22 दिनांक 10/11/22 पुलिस स्टेशन ई थेप्ट क्राइम ब्रान्च दिल्ली **मय अगला व पिछला पहिया मय टायर मय सलेंसर व मोटर साईकिलो के पार्टस व 04 मोटरसाईकिल के नम्बर प्लेटस व एक मोटरसाईकिल का रजिस्ट्रेशन नं0 व एक मोटरसाईकिल का पोलूशन व इंस्योरेंस** एंव अन्य पार्टस वरामद हुए

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1.उ0नि0 मलखान सिंह थाना लोनी बोर्डर गा0बाद।

2. उ0नि0यू0टी0 विभान्शु तोमर थाना लोनी बोर्डर गा0बाद।

3. है0का0 1213 अरविन्द कुमार थाना लोनी बोर्डर गा0बाद।

4. है0का0 257 तेजपाल सिंह थाना लोनी बोर्डर गा0बाद।

5.,का0 1393 सतेन्द्र कुमार थाना लोनी बोर्डर गा0बाद।

6. का0 463 विपिन कुमार थाना लोनी बोर्डर गा0बाद।

क्राईम ब्रान्च जनपद गाजियाबाद एवं थाना नन्दग्राम द्वारा 04 वर्षो से लापता चल रहे चन्द्रवीर उर्फ पप्पू की हत्या का सफल अनावरण करते हुए पत्नी सहित प्रेम गिरफ्तार, जिनकी निशादेही पर मृतक चन्द्रवीर उर्फ पप्पू का शव व घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांकः 05.10.2018 को थाना सिहानीगेट पर वादी श्री भूरे सिंह निवासी ग्राम सिकरोड़ थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद द्वारा अपने भाई चन्द्रवीर सिंह उर्फ पप्पू पुत्र श्री महेन्द्र सिंह 46 वर्ष के दिनांकः 28.09.2018 को शाम 05.00 बजे से लापता होने के सम्बन्ध में सूचना दी, जिस पर मु0अ0सं0-1568/18 धारा 364 भादंवि पंजीकृत किया गया था। लापता चन्द्रवीर सिंह उर्फ पप्पू को बरामद करने हेतु तत्कालीन पुलिस/विवेचक ने काफी प्रयास किया परन्तु लापता चन्द्रवीर उर्फ पप्पू का कोई पता नहीं चला। जिस पर विवेचक द्वारा सुरागरसी जारी रखते हुए विवेचना समाप्त कर दी गयी थी। श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गाजियाबाद द्वारा ऐसे लापता/गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी हेतु सूक्ष्म पर्यवेक्षण करते हुए एक अभियान चलाया गया। जिसमें श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, अपराध एवं क्षेत्राधिकारी अपराध को अपने निकट पर्यवेक्षण में ऐसी घटनाओं के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था। क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद ने उपरोक्त मुकदमें को चिन्हित कर उसके सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एकत्रित किये व उन पर सूक्ष्मता से कार्य किया। जिसमें क्राइम ब्रान्च जनपद गाजियाबाद व थाना नन्दग्राम की संयुक्त कार्यवाही में उपरोक्त 04 वर्षा से लापता चन्द्रवीर उर्फ की सनसनीखेज हत्या का राजफास करते हुए घटना का सफल अनावरण कर घटना में शामिल चन्द्रवीर उर्फ पप्पू की पत्नी व उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। जिनकी निशादेही पर मृतक चन्द्रवीर के शव को अभियुक्त अरूण उर्फ अनिल के मकान के अन्दर 06 फुट गढ्ढा खोदने के बाद बरामद किया व मृतक चन्द्रवीर को मारने में प्रयुक्त तंमचा व उसके हाथ को काटन में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को मृतक की पत्नी के घर से बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ पर अभियुक्त अरूण उर्फ अनिल व मृतक की पत्नी सविता ने बताया कि हम दोनों आपस में वर्ष-2017 से प्रेम करते थे। जिस बात की जानकारी धीरे-धीरे मृतक चन्द्रवीर उर्फ पप्पू व परिवार वालों को हो गयी थी। कई बार मृतक ने हमें आपत्तिजनक स्थिति में देखा तथा मना किया किन्तु फिर भी हम छुपते-छिपाते आपस में एक-दूसरे से मिलते रहते थे। इसी बात को लेकर मृतक सविता को मारता-पीटता भी था। जब हमें लगा कि अब हमारे अवैध सम्बन्ध अब नहीं चल पायेंगे तो हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि चन्द्रवीर उर्फ पप्पू को ही रास्ते से हटा दिया जाय, जिससे हमें कोई रूकावट न रहे। इसी प्लान के तहत अरूण ने पहले से ही लगभग 06 फुट का गढ्ढा अपने मकान के बरामदे में खोद रखा था कि जैसे ही मौका मिलेगा, चन्द्रवीर उर्फ पप्पू को मारकर इस गढ्ढे में दफना देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। दिनांकः 28.09.2018 की रात्रि में चन्द्रवीर उर्फ पप्पू जो अकसर शराब पीने का आदि था, शराब पीकर अपने घर आया और सो गया तो रात्रि में सविता ने अरूण को बुला लिया अरूण ने तमंचे से चारपाई पर लेटे हुए चन्द्रवीर के सिर में गोली मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी तथा चारपाई के नीचे सिर की जगह पर एक प्लास्टिक की बाल्टी रख दी, जिसमें मृतक का खून गिरने लगा, जब खून गिरना बन्द हुआ तो अरूण, चन्द्रवीर की लाश को सविता की मदद से अपने घर में पहले से खोदे गये गढ्ढे के पास ले गया। चन्द्रवीर उर्फ पप्पू ने अपने दाहिने हाथ में स्टील का कड़ा पहन रखा था जिसे निकालने का प्रयास किया किन्तु नहीं निकल पाया तो अरूण ने अपने घर में रखी कुल्हाड़ी से चन्द्रवीर का कलाई से ऊपर दाहिना हाथ काट दिया तथा शव को गढ्ढे में डालकर दबा दिया और उसके ऊपर खडंंजा बिछा दिया और पप्पू का कटा हुआ हाथ मैंने सिकरोड़ गांव के पास कैमिकल फैक्ट्री के पास बोरे में लपेटकर फैंक दिया था और कुल्हाड़ी जिससे पप्पू का हाथ काटा था तथा तमंचा वहीं सविता के मकान में एक कमरा जो खडंहर पडा हुआ था उसमें ईट की रोडी के नीचे दबाकर रख दिया था। कुछ दिन बाद उस जगह पर दोबारा भराब करके वहां पक्का फर्श बना दिया था। जिससे कि इस जघन्य हत्या का राज कभी न खुल सके। घटना के बाद सविता ने प्रयास किया कि पप्पू के गायब होने में उसके भाई भूरा पर आरोप लगाये और फसांये इस शिकायत को लेकर बार-बार पुलिस व गांव के सम्मानित लोगों से भी इस बात की शिकायत करती थी। जिससे कि कोई उसके ऊपर किसी प्रकार का शक न करे।

उपरोक्त सनसनीखेज हत्या, जिसमें मृतक चन्द्रवीर उर्फ पप्पू की पत्नी सविता व पड़ोसी अरूण उर्फ अनिल जो सविता का प्रेमी था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की इस कार्यवाही की मृतक चन्द्रवीर उर्फ पप्पू के परिवारीजनों व ग्रामवासियों ने हृदय से आभार व्यक्त करते हुए घटना के अनावरण व दोषियों की गिरफ्तारी पर संतोष व्यक्त किया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. अरूण उर्फ अनिल कुमार पुत्र हरिकिशन निवासी ग्राम सिकरोड़ थाना नन्दग्राम गाजियाबाद
2. सविता पत्नी स्व0 चन्द्रवीर उर्फ पप्पू निवासी ग्राम सिकरोड़ थाना नन्दग्राम गाजियाबाद

बरामदगी:-

1. मृतक चन्द्रवीर का शव
2. आला कत्ल तमंचा 12 बोर
3. कुल्हाड़ी
4. बाल्टी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अब्दुर रहमान सिद्दकी प्रभारी क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
2. निरीक्षक श्री अरूण कुमार मिश्रा क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
3. निरीक्षक श्री पी0के0 त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना नन्दग्राम गाजियाबाद
4. उ0नि0 श्री सत्यवीर सिंह क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
5. उ0नि0 श्री सचिन तौमर थाना नन्दग्राम गाजियाबाद
6. उ0नि0 श्रीमती रविता चैधरी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद
7. है0कां0 1469 खुर्शीद आलम क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
8. कां0 2388 संदीप कुमार शर्मा क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
9. कां0 2355 नीरज कुमार क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
10. कां0 2554 मनोज कुमार क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद

11. कां0 131 मनोज कुमार क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
12. है0कां0 सहचालक मुरशान अली क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 32 पव्वा देशी शराब संतरा मसालेदार हरियाणा मार्का बरामद

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, महोदय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द पाठक की टीम द्वारा दिनांक13.11.2022 को दौराने चैकिंग समय 23.50 बजे ग्राम हनुमान चौक से भगत सिंह चौक की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक नफर अभियुक्त देशराज सिंह पुत्र प्रेम सिंह उम्र करीब 35 वर्ष निवासी बंसल चौक के पास, राम पार्क थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम हसनपुर बकसवा थाना ककोड़ जनपद बुलंदशहर के कब्जे से 32 पव्वे संतरी देसी शराब हरियाणा मार्का बरामद होना।

नाम पता अभियुक्त

अभियुक्त देशराज सिंह पुत्र प्रेम सिंह उम्र करीब 35 वर्ष निवासी बंसल चौक के पास, राम पार्क थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम हसनपुर बकसवा थाना ककोड़ जनपद बुलंदशहर

आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0स0 645/22 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना ट्रोनिका सिटी

अपराध करने का तरीका-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं हरियाणा से देसी शराब खरीदकर यूपी/एनसीआर क्षेत्र में उंचे दामों पर बेचकर पैसे कमाता हूँ और अपने शौक पूरे करता हूँ।

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 नवीन कुमार
का0 2837 विजय कुमार

बरामदगी का विवरण-

32 पव्वे देशी शराब संतरा मसालेदार हरियाणा मार्का बरामद।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से पर्चा सट्टा की एक डायरी, एक बाल पैन व 7900/- रुपये बरामद होना

<u>कार्यवाहीः</u>- जनपद गाजियाबाद में अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, महोदय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द पाठक की टीम द्वारा दिनांक 13.11.2022 को दौराने चैकिंग समय 23.10 बजे बी. एन. पब्लिक स्कूल के पास से एक नफर अभियुक्त मौ. कासिम पुत्र मौ. शमशेर हाल पता कासिम खान के मकान में ,गली नं. 3, बंगाली बस्ती कासिम विहार, थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद, मूल पता गांव बखरी सलौना, थाना बखरी सलौनी, जिला बेगूसराय बिहार, उम्र 58 वर्ष के कब्जे से पर्चा सट्टा की एक डायरी, एक बाल पैन व 7900/- रुपये बरामद होना।

<u>नाम पता अभियुक्त</u>

मौ. कासिम पुत्र मौ. शमशेर हाल पता कासिम खान के मकान में, गली नं. 3, बंगाली बस्ती कासिम विहार, थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद, मूल पता गांव बखरी सलौना, थाना बखरी सलौनी, जिला बेगूसराय बिहार, उम्र 58 वर्ष

<u>आपराधिक इतिहास</u>

1.मु0अ0स0 644/22 धारा 13 जुआ अधि0 थाना ट्रोनिका सिटी

<u>अपराध करने का तरीका-</u>

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं चोरी छिपे सट्टे की अवैध खाईबाडी कर अवैध धन अर्जित करके अपने शौक पूरे करता हुँ।

<u>गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः</u>-

उ0नि0 कृष्ण कुमार

उ0नि0 जितेन्द्र कुमार

का0 1157 विनीत कुमार

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

पर्चा सट्टा की एक डायरी, एक बाल पैन व 7900/- रुपये बरामद

क्राइम ब्रान्च जनपद गाजियाबाद द्वारा 03 भाराब तस्कर गिरफ्तार, जिनके कब्जे से हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रही 46 पेटी भाराब कुल 2300 पब्बे, 01 तस्करी में प्रयुक्त सेन्ट्रो कार बरामद।

अवगत कराना है कि श्रीमान् वरिश्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गाजियाबाद महोदय द्वारा जनपद गाजियाबाद में अवैध भाराब/मादक पदार्थ के तस्करों/माफियाओं के विरूद्ध व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। उक्त आदे" ा के क्रम में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, अपराध एवं क्षेत्राधिकारी अपराध द्वारा क्राइम ब्रान्च को निर्दे" ात किया गया था। आज दिनांकः 14.11.2022 को क्राइम ब्रान्च जनपद गाजियाबाद द्वारा गैर प्रान्त से सेन्ट्रो कार में तस्करी कर लाई जा रही अवैध भाराब को थाना सिहानीगेट क्षेत्र से बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की। तस्करी करने वाले 03 भाराब तस्कर गिरफ्तार किये गये, जिनके कब्जे से 46 पेटी भाराब हरियाणा मार्का कुल 2300 पब्बे, मय तस्करी में प्रयुक्त सेन्ट्रो कार बरामद हुई।

पूछताछ का विवरण :–

पूछताछ पर प्रमोद ने बताया कि साहब हम लोग हरियाणा से दे" ाी भाराब की पेटियां तस्करी करके लाते हैं और गाजियाबाद के आउटर क्षेत्रों में महंगे दामों पर बेचते थे, इसमें हमें अच्छी आमदनी हो जाती थी, जिससे हमारे भाौक व घर के खर्चे बडी आसानी से पूरे हो जाते थे और पैसे भी बच जाते थे। इसी कारण हम लोग ये काम कर रहे थे। आज भी हम 46 पेटियां भाराब लेकर आये थे, जिसको हमें आउटर क्षेत्र में सप्लाई करना था।

अभियुक्तों से पूछताछ में कुछ अन्य जानकारियां प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार और माल की बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु टीमें बनाकर दवि" ा जा रही हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण :–

1. प्रमोद पुत्र प्रेमपाल निवासी ग्राम इटोवा थाना उझानी बदायुं हाल पता गढ्ढे में खुशी वाटिका थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद
2. रूपक पुत्र केशराम मावी निवासी ग्राम टीलाशहबाजपुर थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद
3. मोनू पुत्र धर्मवीर निवासी ए–464 गली न0–22 सै–23 रोहिणी दिल्ली हाल पता खुशी वाटिका लोनी बॉर्डर गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण :–

1. 46 पेटी दे" ाी भाराब हरियाणा मार्का कुल 2300 पब्बे
2. 01 सेन्ट्रो कार रजिस्ट्रे" ान नम्बर–DL8CN4954

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :–

1. निरीक्षक श्री अब्दुर रहमान सिद्दीकी प्रभारी क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
2. निरीक्षक श्री अरूण कुमार मिश्रा क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
3. उ0नि0 श्री सत्यवीर सिंह क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
4. है0कां0 1124 चन्द्र" ोखर क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
5. है0कां0 1367 संदीप मलिक क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
6. है0कां0 748 सचिन मलिक क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
7. कां0 131 मनोज कुमार क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
8. कां0 2554 मनोज कुमार क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
9. कां0 2003 सचिन बालियान क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
10. कां0 1550 नितिन कुमार क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद

कां0 2203 सुनित कुमार क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद

प्रेस नोटः-

चाकू के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 12.11.2022 थाना भोजपुर, गाजियाबाद

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय गाजियाबाद द्वारा रोकथाम जुर्म एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतू चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर महोदय के कुशल नेतृत्व मे प्रभारी निरीक्षक थाना भोजपुर के कुशल पर्यवेक्षण मे थाना भोजपुर पुलिस द्वारा स0मु0ए0स0 358/22 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट व 374/21 धारा 379 भा0द0वि थाना भोजपुर गा0बाद से संबंधित अभि0 (1) सुल्तान पुत्र कलवा निवास ग्राम कस्वा फरीदनगर थाना भोजपुर गा0बाद उम्र लगभग 45 वर्ष सम्बन्धित मु0अ0स0 358/22 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 व 374/21 धारा 379 भादवि मय 01 अदद चाकू नाजायज के दिनांक 14.11.22 समय 13.30 बजे अमराला कट के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0स0 373/22 धारा 4/25 Arms Act बनाम बनाम सुल्तान उपरोक्त पंजीकृत किया गया । अभि0 को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभि0 -

(1)) सुल्तान पुत्र कलवा निवास ग्राम कस्वा फरीदनगर थाना भोजपुर गा0बाद उम्र लगभग 45 वर्ष

अभियोग का विवरणः -

(1) मु0अ0स0 434/21 धारा 380 भा0द0वि0 भोजपुर जनपद गा0बाद।

(2) मु0अ0स0 607/21 धारा 380 भा0द0वि0 व 3/11 पशू क्रूरता अधि0 थाना भोजपुर गा0बाद

(3) मु0अ0सं0- 374/22 धारा 379 भादवि थाना भोजपुर जनपद गा0बाद

(4) मु0अ0सं0- 358/22 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना भोजपुर जनपद गा0बाद।

(5) मु0अ0सं0- 373/22 धारा 4/25 A Act थाना भोजपुर जनपद गा0बाद।

बरामदगी का विवरणः-

(1) 01 अदद छुरी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1- उ0नि0 श्री श्रीनिवास गौतम थाना भोजपुर गा0बाद।

2- कां0 809 दिनेश कुमार थाना भोजपुर गा0बाद।

3- कां0 1262 मनोज कुमार थाना भोजपुर गा0बाद।

प्रेस नोटः-

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा विभिन्न अभियोगों में वांछित/ वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय गाजियाबाद द्वारा वांरटी / वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतू चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर महोदय के कुशल नेतृत्व मे प्रभारी निरीक्षक थाना भोजपुर के कुशल पर्यवेक्षण मे वारंटी अभियुक्त (1) **हरेन्द्र सिंह उर्फ हल्ला पुत्र मिथनी सिंह नि0 ग्राम ह्रदयपुर भंडौला थाना भोजपुर गा0वाद उम्र- 40 वर्ष सम्बन्धित वाद सं0 398/13 धारा 138 EC ACT –ता0 पेशी- 27/02/23 (2) सलीम पुत्र कमरूददीन नि0 ग्राम त्योडी—13 विस्वा थाना भोजपुर गा0वाद उम्र- 30 वर्ष सम्बन्धित वाद सं0 225/15 धारा 302/452/323/504 भा0द0वि0 –ता0 पेशी- 21/11/22** उसके मस्कन ग्राम ह्रदयपुर मंडोला व ग्राम त्यौडी 07 बिसवा **थाना भोजपुर गा0वाद** से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है ।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

(1) **हरेन्द्र सिंह उर्फ हल्ला पुत्र मिथनी सिंह नि0 ग्राम ह्रदयपुर भंडौला थाना भोजपुर गा0वाद उम्र- 40 वर्ष**

(2) सलीम पुत्र कमरूददीन नि0 ग्राम त्योडी—13 विस्वा थाना भोजपुर गा0वाद उम्र- 30 वर्ष

<u>वाद सं0 / अभियोग का विवरणः -</u>

(1) **सम्बन्धित वाद सं0- *398/13 धारा 138 EC ACT –ता0 पेशी- 27/02/23* अभि0 हरेन्द्र उर्फ हल्ला**

(2) सम्बन्धित वाद सं0 225/15 धारा 302/452/323/504 भा0द0वि0 –ता0 पेशी- 21/11/22 अभि0 सलीम

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक बृज किशोर गौतम, थाना भोजपुर, गाजियाबाद,
2. उ0नि0 **श्री गिर्राज सिंह** थाना भोजपुर, गाजियाबाद,
3. उ0नि0 **श्री अरूण कुमार**, थाना भोजपुर, गाजियाबाद,
4. उ0नि0 मयंक सिंह
5. उ0नि0 रामकिशन
6. उ0नि0 सत्यजीत सिंह
7. **का0 1314 सोमदत्त थाना भोजपुर गा0 बाद ।**

प्रेस नोट

दिनांक- 14.11.2022---- थाना कविनगर (गाजियाबाद)

थाना कविनगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर के अभियोग मे वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक थाना कविनगर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना मधुबन बापूधाम पर पंजीकृत मु0अ0सं0 451/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त शाहरुख पुत्र शेखर निवासी ग्राम सौंदा थाना निवाडी जिला गाजियाबाद को आज दिनांक 14.11.2022 को समय 10.30 बजे मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त के मस्कन गांव सौंदा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध कारित करने का तरीकाः-

अभियुक्त शातिर किस्म का आपराधी है जिसके द्वारा अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर धोखाधडी कर नकली शराब व दिलबाग गुटका बनाना तथा न्यापार करना जिससे राजस्व की हानि होना तथा लोगो का जीवन संकट मे आना जैसी घटनाओ को अंजाम देता है, जो थाना कविनगर पर पंजीकृत नकली शराब व नकली गुटका बनाने तथा व्यापार करने के अपराध मे पूर्व मे जेल जा चुका है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

शाहरुख पुत्र शेखर निवासी ग्राम सौंदा थाना निवाडी जिला गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष ।

अभियुक्त शाहरुख उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 451/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद ।
2. मु0अ0सं0 475/2020 धारा 379/411 भादवि थाना मुरादनगर गाजियाबाद ।
3. मु0अ0सं0 127/2019 धारा 60/63 EX ACT थाना निवाडी गाजियाबाद ।
4. मु0अ0सं0 459/2020 धारा 379 भादवि थाना मुरादनगर गाजियाबाद ।
5. मु0अ0सं0 587/2019 धारा 420 भादवि व 60/63 EX ACT थाना मोदीनगर गाजियाबाद ।
6. मु0अ0सं0 1455/2020 धारा 272/273/420/120बी व 60/62 EX ACT व 7/26 तम्बाकू व सिगरेट अधि0 थाना कविनगर गाजियाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. SHO अमित कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद ।
2. उ0नि0 श्रीनिवास यादव थाना कविनगर गाजियाबाद।
3. का0 44 उदयवीर थाना कविनगर गाजियाबाद।
4. का0 2131 तेज कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद।
5. का0 3104 सचिन कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद।